

के लिए आयोजना आयोग द्वारा योजनाएं अनुमोदित किये जाने तथा उनके लिए राशि नियत किये जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

2053. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यु० द० सिंह :
श्री रामसेबक यादव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का कार्यालय एक स्थान पर नहीं है अपितु तीन स्थानों पर है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य-कुशलता, समन्वय तथा कार्य का शीघ्र निबटाया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन कार्यालयों को एक ही भवन में स्थित करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां।

मंत्रियों के निजी सचिव

2054. { श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यु० द० सिंह :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को इस बात की छूट होती है कि वे अपने निजी सचिवों का चुनाव अपनी इच्छा से स्वयं करें ;

(ख) क्या मंत्रियों का कार्यकाल समाप्त होने पर या मंत्रियों द्वारा अपना पद छोड़ दिये जाने पर उनके निजी सचिव अपनी पहली जगहों पर भेज दिये जाते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्री तथा उपमंत्री अपने कार्यकाल में अपने निजी सचिवों के पदों को ऊंचा कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रियों के पद छोड़ने पर उनके निजी सचिव, यदि वे किसी सेवा से सम्बन्ध रखते हों, तो उन्हें अपने मूल संवर्गों को वापस भेज दिया जाता है।

(ग) मंत्रियों / उपमंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के आधारभूत वेतनक्रम सरकार द्वारा निर्धारित कर दिये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, निजी सचिव के पद को ऊंचा भी किया जा सकता है।

(घ) इन पदों के उत्तरदायित्व बढ़ जाने पर इन्हें ऊंचा किया जाता है।

वीर सावरकर की चिकित्सा

2055. श्री हुकम चन्द कछवाय :
क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वीर सावरकर निर्घनता के कारण अपनी उचित चिकित्सा कराने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अंग्रेजों के शासनकाल में जन्त की गई उनकी सम्पत्ति उन्हें अभी तक वापिस नहीं दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें चिकित्सा की सुविधा देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ज्ञा० मिश्र) : (क) और (ग). भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री सावरकर की चिकित्सा तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर नवम्बर, 1964 में गृह मंत्री के विवेकानुदान में से, राज्य-सरकार को श्री सावरकर के हित में जैसे भी वे उचित समझें वैसे खर्च करने के लिए, 2,000 रुपये की राशि दी गई। श्री सावरकर को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) राज्य सरकार से पूछनाछ की जा रही है।

दिन्हुत्ता थाना क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

2056. श्री रघुनाथ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च के तीसरे सप्ताह में कूच-बिहार के दिन्हुत्ता थाना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत गांवों में पाकिस्तानी सैनिक घुस आये थे और वहां पर पाकिस्तानी झंडा फहराया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 19 मार्च, 1965 को दिन्हुत्ता थाने के अन्तर्गत थराई खाना के एक घान के खेत में पाकिस्तानी झंडे जैसा दिखाई देने वाला एक झंडा फहराता देखा गया। किन्तु, उस क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों के घुस आने की कोई सूचना नहीं मिली

(ख) पुलिस द्वारा मामला चलाया गया है और जांच की जा रही है।

Libraries for Delhi Students

2057. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the Delhi University propose to open libraries and reading rooms and provide for playgrounds for the benefit of students living away from the University Campus; and

(b) if so, the details and expenditure to be incurred on the scheme?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The Academic Council of the University of Delhi after considering the report of the Emotional Integration Committee has agreed with its recommendation that facilities for proper leisure-time activities in the form of libraries etc. should be expanded to cover all students of the University. The details regarding expenditure to be incurred on the scheme have yet to be worked out.

जाली पासपोर्ट

2058. { श्री आंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस साल कितने जाली पासपोर्ट पकड़े गये हैं ;

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वे व्यक्ति किन किन देशों के थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायगी।